

राजस्थान विधान सभा
अष्ठम् सत्र
कार्य-सूची
मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2012
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

श्री पूंजीलाल मीणा, सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचना

परिवहन विभाग

I- श्री वीरेन्द्र कुमार बेनीवाल, परिवहन राज्यमंत्री, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या: प.6(138)परि/कर/मु/10 दिनांक 13.3.2012, जिसके द्वारा जीवन ज्योति संस्था, लालसोट (गीता मेमोरियल आई अस्पताल) द्वारा क्रय किये गये वाहन को सशर्त कर मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(1) श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, आउटपुट बजट वर्ष 2010-2011 एवं आउटकम बजट वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(2) श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, वित्त अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

(3) डॉ. दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधिनियम, 1999 की धारा-25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2011 सदन की मेज पर रखेंगे।

(4) श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा, सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(2) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- आयुर्वेदिक औषधालय, छीगपुर, दांतारामगढ़ जीर्ण भवन के स्थान पर नया भवन बनाने की आवश्यकता बाबत् ; एवं
- 2- सीकर जिले की एमडीआर-100 के हिस्सा सावलपुरा से खाटू का हिस्सा 6 किलोमीटर ग्रेवल सड़क को डामरीकृत करने बाबत्।

(3) डॉ0 फूलचन्द भिण्डा, सदस्य, विधान सभा, विराटनगर पालिका में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमशः वाणिज्य, विज्ञान संकाय तथा ग्राम राजनोता में उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(4) श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- ग्राम पांचोली, तहसील-मण्डरायल, जिला-करौली पेयजल योजना बाबत् ;
- 2- ग्राम गुडली, तहसील-नादोती, जिला-करौली में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय भवन का अन्यत्र स्थान पर निर्माण करवाने बाबत्;
- 3- विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम की ग्राम पंचायत सिंघानिया में पेयजल समस्या के निराकरण बाबत् ; एवं
- 4- चम्बल-सवाई माधोपुर-नादोती पेयजल परियोजना को समय पर पूरा करने बाबत् ।

(5) श्री कान सिंह कोटड़ी, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- सियाली से खण्डप तक पक्की सड़क के निर्माण बाबत् ; एवं
- 2- सावरडा से राखी तक सड़क निर्माण बाबत् ।

5. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री भगवान सहाय सैनी, सभापति, याचिका समिति, 2011-2012, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति, 2011-2012 के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

6. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय,
जयपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-11)

“राजस्थान राज्य में वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।”

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(2) कैरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

कैरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय,
कोटा विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-12)

“राजस्थान राज्य में कैरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।”

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 पर सामान्य वाद-विवाद होगा।

कृष्ण मुरारी गुप्ता
उप सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 26 मार्च, 2012